

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अंतिम तिथि-12.02.2020

सर्वक्षमा योजना

व्यावसायिक सवारी वाहन, मालवाहक वाहन तथा ट्रैक्टर-ट्रेलर के बकाये
करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर

(लाभ प्राप्त करने की तिथि :- 15.11.2019 से 12.02.2020 तक)


क्रमांक	योजना के हकदार वाहन स्वामी	एकमुश्त देय राशि	माफ किया जाने वाला
1.	कर-प्रमादी निबंधित/अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर।	₹ 25,000/- जमा करने पर।	देय कर/अर्थ दण्ड।
2.	कर-प्रमादी व्यावसायिक/मालवाहक वाहन जो दिनांक-15.11.2019 से एक वर्ष तक के कर प्रमादी हैं।	बकाया कर के अतिरिक्त 30% अर्थदण्ड जमा करने पर।	बकाया अर्थदण्ड।
3.	कर-प्रमादी व्यावसायिक/मालवाहक वाहन, जो दिनांक-15.11.2019 से एक वर्ष अधिक समय से कर प्रमादी हैं।	बकाया कर के अतिरिक्त 50% अर्थदण्ड जमा करने पर।	बकाया अर्थदण्ड।
4.	वैसे वाहन स्वामी, जिनके विरुद्ध नीलामपत्र-वाद दायर है।	उपर्युक्त (1), (2) एवं (3) के आलोक में एकमुश्त राशि/कर + अर्थदण्ड जमा करने पर।	नीलामपत्र वापस ले लिया जायेगा।

किसको मिलेगा लाभ :-

1. कर-प्रमादी निबंधित/अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी।
2. कर-प्रमादी निबंधित व्यावसायिक वाहन के वाहन स्वामी।
3. कर-प्रमादी निबंधित मालवाहक वाहन के वाहन स्वामी।
4. नीलामपत्र वाद के बकायेदार ट्रैक्टर-ट्रेलर, व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन के वाहन स्वामी।

कैसे मिलेगा लाभ :-

1. ₹ 25,000/- (पचीस हजार रुपये) एकमुश्त जमा करने पर।
कर प्रमादी अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर नए ट्रैक्टर-ट्रेलर की भांति निबंधित हो सकेंगे।
2. कर-प्रमादी व्यावसायिक/मालवाहक वाहन जो दिनांक-15.11.2019 से एक वर्ष तक के कर प्रमादी हैं, बकाया कर के अतिरिक्त 30% अर्थदण्ड जमा करने पर तथा एक वर्ष अधिक समय से कर-प्रमादी वाहन बकाया कर के अतिरिक्त 50% अर्थदण्ड जमा करने पर।
3. विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।
4. सर्वक्षमा की उपर्युक्त अवधि के पश्चात् 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड देय होगा।


(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।